ATOMIC ENERGY CENTRAL SCHOOLS RAWATBHATA

परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय , रावतभाटा

Under the aegis of AEES, an Autonomous Body Under Department of Atomic Energy, Govt. of India

Websites: www.aecsrbt2.nic.in, www.aecsrbt3.ac.in, www.aecs4rbt.nic.in

शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम2009 (आरटीई अधिनियम) के प्रावधानों के तहत कक्षा - I में निशुल्क प्रवेश के लिए सूचना

रावतभाटा स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों (एईसीएस) -2, 3 और 4 में आरटीई अधिनियम के तहत केवल शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कक्षा- I (एक) में प्रवेश के लिए दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं:

एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/बीपीएल/ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर-एनसीएल)/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN (Child With Special Needs) के रूप में नामित अलग-अलग विकलांग बच्चों की श्रेणियों के तहत आने वाले बच्चों के लिए आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रत्येक परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय की कक्षा I की कुल संख्या की 25% सीटों पर आरटीई अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश दिया जायेगा ।

आरटीई एक्ट 2009 के तहत चयनित बच्चों को पहली से आठवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। पात्रता मानदंड और आवेदन करने और चयन करने की विधि निम्नलिखित होगी:

1. **आयु समूह**: 01/04/2014 को या उसके बाद और 31/03/2016 को या उससे पहले पैदा हुए बच्चे।

आयु प्रमाण:

नि:शुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिये दस्तावेजः– **प्रवेश** के लिये आयु के सबूत के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया **जन्म प्रमाण पत्र** मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में:–

(क) अस्पताल / सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर / अभिलेख

(ख) आँगनबाडी अभिलेख और

(ग) आधार कार्ड उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज **नि:शुल्क प्रवेश हेतु** आयु के सबूत के लिये मान्य होगा तथा दस्तावेज पर अंकित **प्रवेशार्थी** की जन्म तिथि को ही अंतिम माना जाएगा **प्रवेश** के उपरान्त

भौतिक सत्यापन से पूर्व **प्रवेशार्थी** का जन्म प्रमाण–पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना **आवश्यक** होगा। **प्रवेश** उपरान्त जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का **संशोधन** स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अंतिम रूप से चयनित बच्चों की जन्मतिथि का मूल प्रमाण पत्र स्कूल द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और सत्यापन के बाद माता-पिता को वापस कर दिया जाएगा।

2. **आवेदन करने के लिए पात्र श्रेणियां:**

प्रवेशार्थी ''दुर्बल वर्ग'' या ''असुविधाग्रस्त समूह'' से संबंधित होना चाहिए :–

१ दुर्बल वर्ग– राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 18मई, 2020 के अनुसार ''दुर्बल वर्ग'' में ऐसे **प्रवेशार्थी** सम्मिलित हैं– जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये या उससे कम है।

२ असुविधाग्रस्त समूह–राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 18मई, 2020के अनुसार ''असुविधाग्रस्त समूह'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

(क) अनुसूचित जाति के **प्रवेशार्थी**

(ख) अनुसूचित जन जाति के **प्रवेशार्थी**

(ग) अनाथ **प्रवेशार्थी**

(घ) एचआईवी अथवा **कैंसर** से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा **कैंसर** से प्रभावित माता–पिता/संरक्षक के **प्रवेशार्थी**

(च)युद्ध विधवा के **प्रवेशार्थी**

(छ)निःशक्त **प्रवेशार्थी** जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हो।

(ज) पिछड़ा वर्ग या **विशेष** पिछड़ा वर्ग के ऐसे **प्रवेशार्थी** जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये या उससे कम है।

(झ)ऐसे **प्रवेशार्थी** जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई, बी.पी.एल सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची)में सम्मिलित है।

3. **अधिकतम आय मानदंड:** ईडब्ल्यूएस/बीपीएल/ओबीसी-एनसीएल (एसबीसी, बीसी, वीजेएनटी या राजस्थान सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ओबीसी के अंतर्गत आने वाली कोई अन्य श्रेणी) श्रेणी के बच्चे के मामले में: परिवार आय (2.50 लाख) प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल-2021 को 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए |

4. **स्कूल से दूरी:** अभ्यर्थी विद्यालय के आस पास के परिक्षेत्र अर्थात रावतभाटा नगर पालिका के निर्धारित क्षेत्र में निवास करने वाला होना चाहिए |

5.निवास प्रमाण पत्रः– प्रवेशार्थी /अभिभावक के निवास के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के सम्बन्ध में **प्रवेशार्थी** /अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राषन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली का बिल (6माह **से** पुराना नहीं हो)/पानी का बिल (6 माह से पुराना नहीं हो) भी मान्य होंगे। निवास के प्रमाण **के** रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवष्यक है। वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने अथवा परीसीमन के कारण वार्ड परिवर्तन होने की स्थिति में संबंधित पार्षद/बीएलओ तथा किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज भी मान्य होगा। (परिषिष्ट–**3** के **अनुरूप** निर्धारित प्रपत्र में)

6. **आवेदन करने की विधि**: माता-पिता को निर्धारित आवेदन पत्र (अनुलग्नक -1) में आवेदन करना आवश्यक है जिसे वेबसाइट (**AECS 2 website** www.aecsrbt2.nic.in, **AECS-3, Rbt website** www.aecsrbt3.ac.in **AECS-4, Rbt website** www.aecs4rbt.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। या इस परिपत्र के प्रकाशन की तिथि से 19/02/2022 तक सभी कार्य दिवसों पर AEC स्कूल नंबर 4, रावतभाटा से सुबह 09.00 बजे से 1.00 बजे के बीच नि:शुल्क लिया जा सकता है। परिपत्र में दिए गए आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित (Self Attested) फोटोकॉपी के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र अंतिम तिथि या उससे पहले एईसी स्कूल -4 में जमा करना है । अपूर्ण अथवा देर से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें निरस्त माना जायेगा |

7. **चयन की विधि: सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और स्कूल का आवंटन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा।**
कक्षा- I में प्रवेश के लिए केवल दस्तावेजी प्रमाण के साथ समर्थित और सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदनों पर विचार किया जाएगा| सत्यापन के दौरान, यदि कोई आवेदक जाली दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश प्राप्त किया हुआ पाया गया तो , उसका आवेदन विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा | प्रतीक्षा सूची से अगले आवेदक को प्रवेश के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले इस परिपत्र को ध्यान से पढ़ें।

8. **लॉटरी ड्रा के लिए लॉट**: कक्षा I में प्रवेश के लिए शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रवेश हेतु योग्य (eligible) अभ्यर्थियों का चयन लाटरी द्वारा किया जायेगा | लाटरी की प्रक्रिया परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कि स्थानीय प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा गठित समिति (committee) द्वारा संपन्न की जायेगी | लाटरी के दौरान आवेदक अभिभावक भी उपस्थित रह सकते हैं |

9. अस्वीकृत आवेदन और उनसे संबंधित रिकॉर्ड प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद केवल 6 महीने तक ही रखा जाएगा।

10. देर से प्राप्त या अपूर्ण आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
11. किसी भी गलत प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त प्रवेश प्राचार्य द्वारा तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और प्राचार्य की ऐसी कार्रवाई के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. आरटीई अधिनियम 2009 के तहत प्रवेशित बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एक बार बच्चों को आरटीई अधिनियम के तहत कक्षा एक में प्रवेश देने के बाद, उन्हें आठवीं कक्षा तक छूट और रियायतें मिलती रहेंगी।

आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज़

''दुर्बल वर्ग'' के प्रवेशार्थियों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज:– **अभिभावकों** की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक होने का प्रमाण पत्र। (**परिशिष्ट**–२ अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में)

१) प्रवेशार्थी /अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

२) प्रवेशार्थी की आयु सम्बन्धी दस्तावेज।

''असुविधाग्रस्त समूह'' के प्रवेशार्थियों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजः–

१) प्रवेशार्थी /अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र

अथवा **प्रवेशार्थी** /अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र

अथवा अनाथ आश्रम द्वारा **प्रवेशार्थी** के अनाथ होने की घोषणा

अथवा एचआईवी/**कैंसर** से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट

अथवा युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र अथवा **विशेष आवश्यकता** वाले **प्रवेशार्थी** के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र

अथवा पिछड़ा वर्ग/**विशेष** पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक होने का प्रमाण पत्र (पिछडा वर्ग/**विशेष** पिछडा वर्ग के जाति का प्रमाण पत्र सहित)

अथवा बी.पी.एल.कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर)

(२) प्रवेशार्थी /अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(३) प्रवेशार्थी का आयु सम्बन्धी दस्तावेज।

आरटीई अधिनियम में दिए जाने वाले अस्थायी प्रवेश

सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए स्कूल का प्रवेश और आवंटन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा।

14. आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश पूरा करने की तिथि की अनुसूची।

क्रम संख्या	प्रवेश की अनुसूची	तिथि
1	आवेदन पत्र जारी करने की तिथि (एईसीएस -4 रावतभाटा से, सभी कार्य दिवसों में सुबह 09.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे के बीच)।	7/02/22 से 19/02/22

2	आवेदन पत्रों की प्राप्ति/संग्रहण की तिथियां (एईसीएस-4, रावतभाटा में सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे के बीच)	8/02/22 से 21/02/22
3	ड्रा के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची प्रदर्शित करने की तिथियां (सूचियां एईसी स्कूल नंबर -4, रावतभाटा में प्रदर्शित की जाएंगी)	23/02/22
4	लॉट के ड्रा की तिथि (ए ई सी स्कूल नंबर -4, रावतभाटा में)	11 बजे, 25/02/22
5	लॉटरी के ड्रा के अनुसार चयनित सूची के प्रदर्शन की तिथि	25/02/22
6	प्रवेश की तिथि (आवंटित एईसी स्कूल में)	28/02/22

नोट: १) क्रमांक 3 से 6 की तिथियां, संभावित तिथियाँ हैं।

२) यह सूचना एईसीएस नंबर-2 की वेबसाइट www.aecsrbt2.nic.in, AECS 3 वेबसाइट www.aecsrbt3.ac.in और AECS-4 वेबसाइट www.aecs4rbt.nic.in पर अपलोड किया गया है और NPCIL प्लांट साइट, के विभिन्न नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित किया गया है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: अनुलग्नक -1 के रूप में आवेदन पत्र।

खंडन (डिस्क्लेमर): किसी भी संदेह/विवाद की स्थिति में, राजस्थान सरकार द्वारा RTE Act 2009 के अंतर्गत समय समय पर जारी दिशा-निर्देश सर्वमान्य होंगे |

समन्वयक प्राचार्य

एईसी स्कूल, रावतभाटा

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, एलएमसी, एईसी स्कूल, रावतभाटा।
2. रावतभाटा और रावतभाटा के पड़ोस क्षेत्र के सभी सार्वजनिक सूचना पट्ट।
3. एईसी स्कूलों के सभी प्रमुख, रावतभाटा।
4. स्थानीय समाचार पत्र

परिशिष्ट-१

प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप

विद्यालय का नाम...

आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्सपर "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के प्रवेश हेतु

आवेदन–पत्र

(भाग–अ)

प्रवेशार्थी का फोटो

1. प्रवेशार्थी की सूचनाः–

1.1 प्रवेश हेतु कक्षा ....

1.2 प्रवेशार्थी का नाम...

1.3 लिंग ....

1.4 आधार न. (यदि उपलब्ध हो)...

1.5 जन्म तिथि (अंको में) ....../......./........ (शब्दों में)..

1.6 जाति वर्ग(SC/ST/OBC/SBC/GEN).............................

1.7 प्रवेशार्थी का धर्म ....

1.8 क्या प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता (CWSN) श्रेणी मे आता है ? ....

2.प्रवेशार्थी के अभिभावक से सम्बन्धितसूचनाः–

2.1 पिता का नाम.. 2.2 आधार न. (यदि उपलब्ध हो)..................................

2.3 माता का नाम.. 2.4 आधार न. (यदि उपलब्ध हो)..................................

2.5 संरक्षक का नाम (यदि लागू हो)..............................2.6 आधार न. (यदि उपलब्ध हो)..................................

2.7 क्या अभिभावक (BPL) श्रेणी के अन्तर्गत आते है ? ....

2.8 संरक्षक/अभिभावक (परिवार) की कुल वार्षिक आय (रूपये में)– ....

2.9 माता/पिता/संरक्षक का मोबाइल नं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3. माता/पिता/संरक्षक का पूरा पता (संलग्न दस्तावेज के अनुसार):–

....

ग्राम का नाम/वार्ड नं0.. पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

ग्राम पंचायत या नगर पालिका/परिषद/निगम का नाम ....

ब्लॉक .... जिला...

4. प्रवेशार्थी का वर्ग(संबंधित बॉक्स मे ✓ करें):–

4.1दुर्बल वर्ग

4.1.1 अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक है। ☐

4.2 असुविधाग्रस्त समूह

4.2.1 अनुसूचित जाति ☐

4.2.2 अनुसूचित जनजाति ☐

4.2.3 बालक अनाथ आश्रम का निवासी है। ☐

4.2.4 बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक एचआईवी से प्रभावित है। ☐

4.2.5 बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक कैंसर ग्रस्त है। ☐

4.2.6 बालक की माता युद्ध विधवा है। ☐

4.2.7 बालक निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में है। ☐

विशेष आवश्यकता की श्रेणी.................................

4.2.8 पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक है। ☐

4.2.9. बीपीएल ☐ एल क्रमांक.................. केन्द्र/राज्य सूची...................

5. **निवास के सम्बन्ध में विकल्पः–**

☐ I बालक उस वार्ड (शहरी क्षेत्र के लिए) अथवा ग्राम (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) का निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है।

☐ क्या बालक उस वार्ड (शहरी क्षेत्र के लिए) अथवा ग्राम(ग्रामीण क्षेत्र के लिए) से बाहर का लेकिन उस शहरी स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत का निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है।

नोट :–1 आयु, जाति, निवास स्थान, बीपीएल सूची, विकलांगता के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

2. बालक/बालिकाकी आधार संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में आधार कार्ड बनवाया जाना अथवा आधार कार्ड हेतु पंजीयन करवाया जाना शीघ्र सुनिश्चित करें तथा यह नम्बर विभाग द्वारा विद्यालय के करवाए जाने वाले भौतिक सत्यापन से पूर्व सम्बन्धित विद्यालय को उपलब्ध करवा दें।

3. आवेदन में भरी गई सूचनाओं के संलग्न दस्तावेजों से मिलान नहीं होने पर अथवा किसी दस्तावेज के अपूर्ण/गलत पाये जाने पर आवेदन पत्र/निःशुल्क प्रवेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

4. आवेदन के समय बालक की जन्म तिथि हेतु जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर कोई अन्य दस्तावेज दिया गया है तो प्रवेश उपरान्त जन्म प्रमाण–पत्र बनवाकर विभाग द्वारा बालकों के भौतिक सत्यापन से पूर्व विद्यालय को उपलब्ध करवा दिया जाए।

(भाग–ब)

माता/पिता/संरक्षक द्वारा सशपथ घोषणा

1. मैं सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में प्रवेशार्थी व स्वयं केसम्बन्ध में दी गई समस्त सूचनाऐं सही हैं। किसी भी प्रकार की गलत सूचना के लिये मैं सदैव जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि विद्यालय के नियमों/उप नियमों का सदैव पालन करूँगा/करूँगी।

आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक : ....हस्ताक्षर/अगूँठे का निशान

(माता/पिता/संरक्षक)

आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)
आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु 2021—22

प्रारूप भाग—I

1. प्रार्थी (विधार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम...
   पिता/पति का नाम श्री...............................आयु.......................वर्ष........................माह..........................
2. निवास स्थान का पूर्ण पताः—..
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (बीपीएल को छोडकर)...............(जो स्पष्ट अंकित हो)
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर...(जो स्पष्ट अंकित हो)
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भामाशाह नम्बर...(जो स्पष्ट अंकित हो)
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्त्रोंतो से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरणः—(संबंधित पर चिन्हित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म नं 16 भी संलग्न करें)

(1) कृषि भूमि (..................) आदि से आयः रू.....		(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान निकाय आदि से आयः रू..............................
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय मजदूरी आदि से आय रू....		(4) मशीनरी किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आय रू.........
(5) अन्य स्त्रोतों से आयः रू....................................		कुल वार्षिक आयः रू.............................

मैं प्रमाणित करता/करती हु कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।
दिनांक............................

हस्ताक्षर.........................
आय की घोषणा करने वाले का नाम.......................
मय विद्यार्थी से संबंध..................

प्रारूप भाग—II

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण—पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि प्रार्थी/प्रार्थियां.............पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...............निवासी...........को भली प्रकार से जानते हैं इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी है। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थियां के पास आय का कोई अन्य स्त्रोंत नही हैं

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति
का नाम............................
(पद नाम दिनांक मय मोर)

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति
का नाम..
(पद नाम दिनांक मय मोर)

नोटः— (उत्तरदायी व्यक्ति यथा संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/बार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अंभिशषा करवाए।)

प्रारूप भाग—III

में............पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.............शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हुं कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की (जो भी लागू) समस्त स्त्रातों से कुल वार्षिक आय रू.........अक्षरे रू...... है। उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया हैं, जो सही हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही अस्त्तय लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपुर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते है। में, यह अच्छी तहर समझता हुं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती हैं

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग—IV (प्रमाणिकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम)................पिता/पति का नाम ....आयु......................निवासी ....ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी
का नाम मय पद एवं सील

(कार्यापालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिश्नर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक) का नाम व पद मय मुहर)

<u>वार्ड परीसीमन के कारण वार्ड परिवर्तित होने की स्थिति में संबंधित सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद/बीएलओ एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप</u>

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदनकर्ता का नाम ....पुत्र/पुत्री श्री .... द्वारा आवेदन क्रमांक .... में भरा गया निवास स्थान ....का गांव/वार्ड संख्या ....वर्तमान में पूर्ण रूप से सत्य है। वार्ड परीसीमन से पूर्व इस निवास स्थान का गांव/वार्ड संख्या .... था। इसमें किसी भी तथ्य को छुपाया/घटाया या बढाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
संबंधित सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद/बीएलओ	राजपत्रित अधिकारी
नाम	नाम ....
पद...	पद...
मोहर	मोहर ....